भारतीय न्याय संहिता 2023

माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक के
विद्यार्थियों के लिए

जुलाई 2025

आषाढ़ 1947

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित।

भारतीय न्याय संहिता 2023

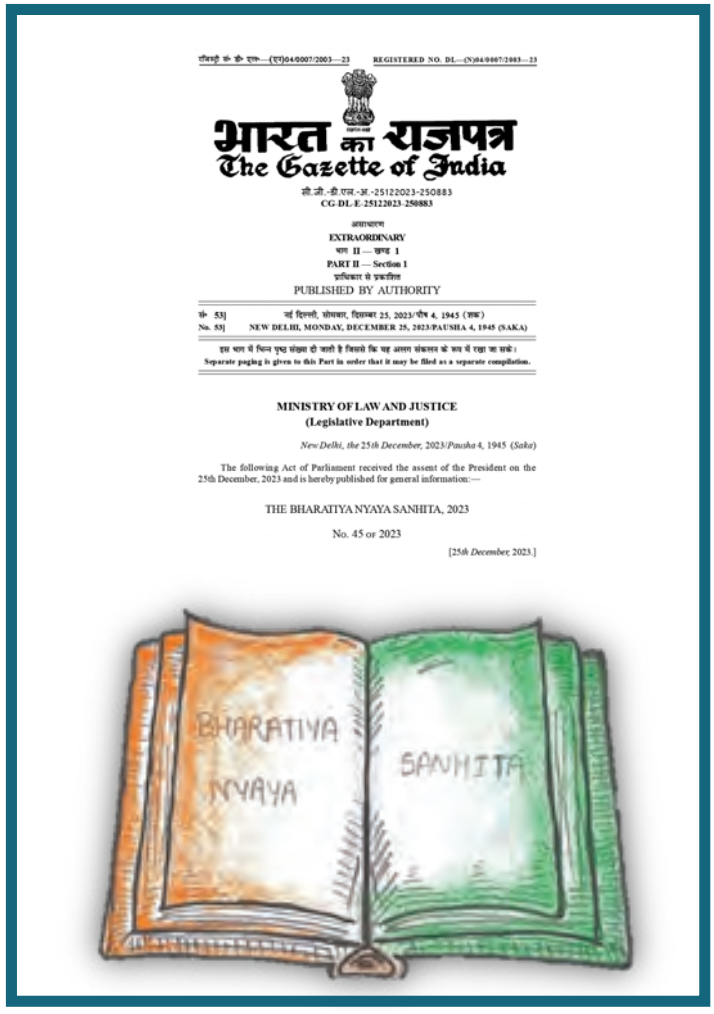

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

No. 45 of 2023

[*25th December*, 2023.]

माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक के
विद्यार्थियों के लिए

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

भारतीय न्याय संहिता 2023

सीखने के प्रतिफल

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, आप निम्न कार्य कर सकेंगे—

- यह समझना कि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों ने भारत की कानूनी प्रणाली को कैसे आकार दिया।
- स्वतंत्रता के बाद भारत की कानूनी प्रणाली के विकास को जानना।
- समाज में उभरती चुनौतियों और अपराध के नए रूपों पर ध्यान देने के लिए निरंतर कानूनी सुधारों के महत्व को समझना।
- नए आपराधिक कानून द्वारा लाए गए परिवर्तनों को जानना — भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.)।

भारत में आपराधिक कानून का विकास

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली स्वतंत्रता से पूर्व के युग के दौरान अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती है। वर्ष 1860 में एक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की स्थापना की गई थी। इसने अपराध को परिभाषित किया और उचित दंड निर्धारित किया। इसे अंग्रेजी आपराधिक कानून के अनुरूप विकसित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में अधिनियमित की गई थी। इसने आपराधिक प्रक्रिया के चरणों में पालन किए जाने वाले नियमों को स्थापित किया। वर्ष 2000 में, भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमठ के आधुनिक सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सदियों पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की।

2023 में, भारत ने समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख कानूनी संविधियों में संशोधन किया। भारतीय दंड संहिता (1860) को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) से प्रतिस्थापित किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता (1973) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) से प्रतिस्थापित किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.) से प्रतिस्थापित किया गया। ये नए कानून महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए

विशिष्ट प्रावधानों सहित अद्यतन सुविधाएँ प्रस्तुत करते हैं और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आवश्यक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.)

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हुआ, जिसने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) का स्थान लिया। कानून निर्माताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने पुरानी संहिता को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपर्याप्त माना और एक व्यापक अद्यतन की माँग की। नए बी.एन.एस. 2023 ने समकालीन सामाजिक परिवर्तनों और साइबर अपराधों की उभरती प्रकृति के कारण पहले के आई.पी.सी. 1860 को प्रतिस्थापित किया।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 का महत्व

भारतीय न्याय संहिता, 2023 को *भारतीयों द्वारा* और *भारतीयों के लिए* कानून लाने के लिए एक प्रगतिशील कदम माना जाता है क्योंकि यह औपनिवेशिक युग के दौरान तैयार की गई भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंत का प्रतीक है। औपनिवेशिक युग का सबसे अधिक विवादित कानून-राजद्रोह, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत कोई स्थान नहीं पाता है, जो उन लोगों के लिए उम्मीद जगाता है, जो भारतीय कानून और दंड प्रणाली में ऐसे बदलावों के लिए बहस कर रहे थे। भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में सामुदायिक सेवाओं और छोटे अपराधों के लिए दंड जैसे नए तरीके भी सम्मिलित हैं, जो दोषियों को उनके छोटे अपराधों और लंबी सुनवाई के लिए जेल से बाहर रखेंगे। ध्यातव्य है कि समय के परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, सामाजिक आवश्यकताओं और अपराधों की प्रकृति बदल गई है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने इस तरह की प्रगति से सामंजस्य बनाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए हैं। उदाहरण के लिए, साइबर अपराध से संबंधित दंड के बारे में, जिसका शुरू में आई.पी.सी. के अंतर्गत कोई स्थान नहीं था। सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का पालन करते हुए, बी.एन.एस. ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में दंड के अपने दायरे (स्कोप) को बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता भी अपनी व्यापक पहुँच के कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें घृणास्पद भाषण, मानहानि और भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध सम्मिलित हैं, जिनकी मौजूदगी आज के भारत में काफी हद तक पाई जा सकती है। पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित

दंड भी बी.एन.एस. में विद्यमान हैं, जो समय और समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दर्शाता है। इसलिए, भारतीय न्याय संहिता वर्तमान समय के अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की मुख्य विशेषताएँ

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में 20 अध्याय, 358 धाराएँ हैं (आई.पी.सी. में 511 धाराएँ थीं)।
- भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की तुलना में, बी.एन.एस. ने जुर्माने में वृद्धि की है और सजा (दंड) बढ़ाई है। साथ ही, सामुदायिक सेवा जैसे दंड के नए रूपों का निर्देश दिया गया है।
- यह तुलनात्मक रूप से अधिक सुव्यवस्थित है, उदाहरणार्थ— अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों को अध्याय 5 के अंतर्गत सुदृढ़ किया गया है (आई.पी.सी.में, यह बिखरा हुआ था)।
- धारा 2 (8) के अंतर्गत, 'दस्तावेजों' में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स' भी सम्मिलित हैं।
- धारा 2 (10) के अंतर्गत, 'लिंग' (जेंडर) को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है। यह पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को संदर्भित करता है।
- इसी तरह, धारा 2 (3) के अंतर्गत 'बच्चा' का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन

नए प्रस्तुत किए गए बी.एन.एस. ने पिछली भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जबकि इसके मूल सार और आवश्यक प्रावधानों को संरक्षित किया है। कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार हैं—

1. **दंड के रूप में सामुदायिक सेवा**— यह अवधारणा, जो आई.पी.सी. में अनुपस्थित थी, अब छोटे अपराधों पर लागू होती है, जैसे कि उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, आत्महत्या का प्रयास, नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक कदाचार, मानहानि और इसी तरह के अपराध। इस प्रावधान के अंतर्गत अपराधियों द्वारा अवैतनिक कार्य करना आवश्यक है, जो समुदाय को लाभ पहुँचाता है, जिससे वे अपने कार्यों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं (गृह मंत्रालय, 2023)।
2. **राजद्रोह**— भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 124 A में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष लाने के लिए शब्दों का उपयोग

करता है, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या संकेतों या दृश्य चित्रण के माध्यम से, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माना या सिर्फ जुर्माने (आई.पी.सी.) से दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान एक कठोर कानून के रूप में देखा जाता था, का इस्तेमाल स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को डराने और दमन के लिए किया जाता था। भारत में पहला राजद्रोह का मामला 1891 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्वीन एम्प्रेस बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस का था, जहाँ ब्रिटिश सरकार की नीति की आलोचना प्रकाशित करने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था (पार्थसारथी, 2022)। वर्ष 1897 में, बाल गंगाधर तिलक को उनके भाषणों के लिए राजद्रोह के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। महात्मा गांधी को भी 'यंग इंडिया' जर्नल में उनके काम के लिए 1922 में राजद्रोह के अंतर्गत छह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने आई.पी.सी. की धारा 124 A को निरस्त कर दिया है और उसकी जगह धारा 152 को प्रस्तुत किया है। 'राजद्रोह' शब्द का इस्तेमाल करने के बजाए, बी.एन.एस. की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर ध्यान देती है (गृह मंत्रालय, 2023)। यह परिवर्तन समकालीन चुनौतियों के प्रति बी.एन.एस. के अनुकूलन और राजद्रोह कानूनों द्वारा पहले कवर की गई अवधारणा के प्रति इसके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

गतिविधि– विद्यार्थियों से भारत में राजद्रोह के मामलों के ऐतिहासिक विकास से संबंधित समाचार-पत्रों की कटिंग प्रदर्शित करने के लिए कहें।

3. **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपराध करना**— इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने इन प्रगतियों द्वारा सक्षम अनुचित व्यवहारों या अपराधों पर ध्यान देने के लिए नए कानूनों के निर्माण को आवश्यक बना दिया है। जनवरी और अप्रैल 2024 के बीच, भारतीय नागरिकों को साइबर आपराधिक गतिविधियों के कारण 1,750 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान हुआ, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, गृह मंत्रालय, 2024) पर दर्ज 7,40,000 से अधिक शिकायतों के माध्यम से बताया गया है। ये हालिया अपराध 1860 के आई.पी.सी. द्वारा कवर नहीं किए गए थे।

यह अंतर दूर करने के लिए, बी.एन.एस. की धारा 2 (39) प्रस्तुत की गई है। यह निर्दिष्ट करता है कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी शब्दों का वही अर्थ होगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस., 2023) (गृह मंत्रालय, 2023) में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार के अध्याय 1 भारत सरकार (भारत सरकार, 2000) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डेटा, कंप्यूटर सिस्टम, साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर आदि जैसे शब्दों को परिभाषित करता है। इन अपराधों के लिए सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बी.एन.एस. की धारा 2 (8) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सम्मिलित करने के लिए 'दस्तावेजों' की परिभाषा का विस्तार करती है, जिससे सभी रूपों में उनकी कानूनी मान्यता बढ़ जाती है।

गतिविधि– विद्यार्थियों से साइबर अपराधों के प्रकारों और बी.एन.एस. के अंतर्गत उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चित्रात्मक प्रस्तुतियाँ बनाने को कहें।

4. **मानहानि**— भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 499 में कहा गया है, "जो कोई भी व्यक्ति, बोले गए शब्दों या पढ़े जाने के इरादे से या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुँचाना है या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा, मानहानि करता है" (आई.पी.सी., 1860)। जो कोई किसी दूसरे की मानहानि करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत, दंड में अब 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों सम्मिलित हैं, साथ ही सामुदायिक सेवा का विकल्प भी सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)।

गतिविधि– कक्षा को समूहों में विभाजित करें और उनसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर मानहानि के प्रतिकूल प्रभावों पर एक रोल-प्ले तैयार करने को कहें।

5. **आत्महत्या का प्रयास**— भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पहले से ही परेशान और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दंडित करता है (भारतीय दंड संहिता, 1860)।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 (एम.एच.सी.ए.) का उद्देश्य आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना था, लेकिन आई.पी.सी. के अपराधीकरण के कारण भ्रम की स्थिति बनी रही।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने इसे सरल बनाते हुए कहा कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध नहीं है, सिवाय इसके कि जब यह किसी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से किया गया हो। ऐसे मामलों में, इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष तक की साधारण कारावास या सामुदायिक सेवा या दोनों की सजा हो सकती है।

गतिविधि– आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता अभियान का आयोजन करें। आप इसमें परामर्श सत्र भी सम्मिलित कर सकते हैं।

6. **भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग)**— मॉब लिंचिंग सामुदायिक 'न्याय' की आड़ में किया जाने वाला एक बर्बर कृत्य है, जिसमें किसी व्यक्ति को कथित अपराध के लिए सजा के तौर पर कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मार दिया जाता है (श्रीवास्तव, 2024)। आई.पी.सी. ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। बी.एन.एस. में अब मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं, जिसमें मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है।

स्रोत— https://www. istockphoto.com/ search/2/ image?mediatype= illustration&phrase=lynching

7. **अवयस्कों से बलात्कार**— भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 376 के अंतर्गत, बलात्कार करने वाले को कम-से-कम दस साल के कारावास की सजा दी जाती थी। यह आजीवन कारावास भी हो सकता था और जुर्माना भी लगाया जा सकता था। बी.एन.एस. ने इसकी अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया है (गृह मंत्रालय, 2023)।

8. **आतंकवाद**— भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धारा 111 आतंकवादी कृत्य के अपराध के बारे में उल्लेख करती है—

"(1) किसी व्यक्ति को आतंकवादी कृत्य करने वाला तब माना जाता है जब वह भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक हिस्से को डराने या किसी कृत्य से सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से कोई कृत्य करता है।" (गृह मंत्रालय, 2023)

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने आतंकवाद को पहली बार एक सामान्य कानून के हिस्से के रूप में एक पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया (खान, 2023)। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कोई आतंकवादी कृत्य करता है, उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, बिना पैरोल के और दस लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा (गृह मंत्रालय, 2023)। बी.एन.एस. ने जनता के किसी भी वर्ग को 'डराना' या 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना' को सम्मिलित करके इसका दायरा बढ़ा दिया है।

गतिविधि– आतंकवाद और उसके कारणों, परिणामों और रोकथाम पर एक समूह चर्चा का आयोजन करें।

9. **संगठित अपराध**— भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध की शुरुआत की और कहा कि कोई भी निरंतर गतिविधि, जो प्रकृति में गैर-कानूनी है और समाज को नुकसान पहुँचाती है, उसे मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह धारा इस प्रकार है—

111. (1) अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या (कॉन्ट्रेक्ट किलिंग), आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, व्यक्तियों, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी रैकेट सहित कोई भी निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, संगठित अपराध माना जाएगा। संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियों या वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य गैर-कानूनी तरीकों का उपयोग करके, संगठित अपराध माना जाएगा।

इसके अलावा, बी.एन.एस. अधिनियम की धारा 110 में 'छोटे अपराध' की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। इसका मतलब है— छोटा संगठित अपराध या सामान्य रूप से ऐसा अपराध, जो देश के नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। इस तरह के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

गतिविधि– मानव तस्करी के बारे में जागरूकता के लिए पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करें।

10. **घृणास्पद भाषण**— भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत घृणास्पद भाषण का प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 153 A, धारा 295 A और धारा 505 के प्रावधानों पर आधारित है। बी.

एन.एस. ने घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए प्रावधानों को अद्यतन और विस्तारित किया, इसे एक अपराध के रूप में माना, जिसे आई.पी.सी.के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया था, संचार की विकसित प्रकृति और इस तरह के भाषण को प्रसारित करने में डिजिटल प्लेटफार्मों की बढ़ती भूमिका को मान्यता दी। इस धारा के अंतर्गत सजा के प्रावधान में सख्त दंड और 3 साल तक का कारावास सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)।

गतिविधि– विद्यार्थियों से पिछले पाँच वर्षों में घृणास्पद भाषण के मामलों से संबंधित समाचार-पत्रों की कटिंग लाने के लिए कहें।

11. **पर्यावरण प्रदूषण**— वर्तमान पर्यावरणीय संकट को पहचानते हुए, बी.एन.एस. पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत करता है, जो वर्तमान समाज में पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देता है। ये प्रावधान पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को दंडित करते हैं और पर्यावरण कानूनों के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें दस वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है (गृह मंत्रालय, 2023)।

गतिविधि

1. पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण क्षरण के प्रतिकूल प्रभावों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करें।
2. विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में पौधारोपण और सफाई अभियान चलाएँ।

12. **कपटपूर्ण तरीके अपनाकर यौन संबंध बनाना आदि**— भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 69 में बलात्कार के अंतर्गत कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने के अपराध पर ध्यान देने के प्रावधान सम्मिलित हैं। यहाँ कपटपूर्ण तरीकों में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, पहचान छिपाने के बाद प्रलोभन या विवाह करना सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)। उपर्युक्त अपराध की सजा में दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना सम्मिलित है।

प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?

(क) सी-आर.पी.सी.

(ख) आई.पी.सी.

(ग) साक्ष्य अधिनियम

(घ) दंड संहिता

(उत्तर— ख)

2. बी.एन.एस. कब अधिनियमित किया गया था?

(क) 1 जून 2020

(ख) 1 जुलाई 2023

(ग) 25 दिसंबर 2023

(घ) 25 दिसंबर 2024

(उत्तर— ग)

3. आई.पी.सी. का मसौदा किसने तैयार किया था?

(क) वॉरेन हेस्टिंग्स

(ख) थॉमस बैबिंगटन मैकाले

(ग) माउंटबेटन

(घ) एलिजाबेथ

(उत्तर— ख)

4. आई.पी.सी. की धारा 124 A किससे संबंधित है?

(क) राजद्रोह

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध

(ग) मानहानि

(घ) अवयस्क से बलात्कार

(उत्तर— क)

5. निम्नलिखित चित्रों से आप क्या समझते हैं?

(क) दंड के रूप में सामुदायिक सेवा
(ख) मानहानि
(ग) भीड़ द्वारा हत्या
(घ) आतंकवाद

(उत्तर— क)

6. इनमें से कौन-सा एक संगठित अपराध है?

(क) बलात्कार
(ख) आतंकवाद
(ग) मानव तस्करी
(घ) मानहानि

(उत्तर— ग)

माता-पिता के लिए संदेश

बच्चे हमारे भविष्य के समाज की आधारशिला हैं। आज हम उन्हें जो सिखाते हैं, वह निश्चित रूप से कल उनके कार्यों में परिलक्षित होगा। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इनका ध्यान रखें और सभी को इस बारे में जागरूक करें कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, हमारा संयुक्त प्रयास अपने बच्चों को भविष्य में सुंदरता से खिलने में सहायता करेगा। बच्चे पहले अपने माता-पिता से सीखते हैं और फिर विद्यालयों में शिक्षकों की बातों का पालन करते हैं।

हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने बच्चे के घर और बाहर के कार्यों और सीखों के बारे में जागरूक होकर उसका पालन-पोषण करने में हमारी सहायता करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चे के व्यवहार और घर एवं बाहर की समस्याओं का संकेत देने वाले किसी भी संकेत के बारे में सतर्क रहें। ये इनपुट कई लोगों की जान को अवसाद और आत्महत्या के विचारों से बचाने में सहायता कर सकते हैं, जो उनकी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मौजूदगी को प्रभावित करने वाली अज्ञात समस्याओं के कारण होते हैं। आइए, हम सामूहिक रूप से एक सुरक्षित वातावरण बनाएँ, जहाँ बच्चे अपनी समस्याओं और संघर्षों के बारे में खुलकर बता सकें, जिनका वे घर और बाहर सामना करते हैं।

संदर्भ

दीक्षा एन.डी. 2024. डीकोलोनाइजेशन ऑफ आई.पी.सी. — द पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद द आइडिया ऑफ 'न्याय' अंडर भारतीय न्याय संहिता. 01 जुलाई, 2024 को एस.सी.सी. टाइम्स से प्राप्त किया गया।

भारत सरकार. 2000. द इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. www.indiacode.nic.in से प्राप्त किया गया।

जॉइस जे.एम. 1984 (पुनर्प्रकाशित 2010). लीगल एंड कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया — एंसिएंट लीगल, ज्यूडिशियल एंड कांस्टीट्यूशनल सिस्टम. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा.लि., नई दिल्ली।

गृह मंत्रालय. 2023. भारतीय न्याय संहिता. https://www.mha.gov.in/sites/ default/files/250883_ english_01042024.pdf

गृह मंत्रालय. 1860. इंडियन पीनल कोड. https://www.mha.gov.in/sites/default/ files/2023-02/ IPC1860_27022023.pdf

गृह मंत्रालय. 2024. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल।

मिश्रा, ए. 2023. इंडियन क्रिमिनल रिफॉर्मेशन — ए क्रिटिकल एनालिसिस. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिब्यूज एंड रिसर्च इन सोशल साइंस. doi: 10.52711/2454-2687.2023.00002.

पार्थसारथी, एम. 2022. सैडिसन लॉ इन इंडिया — अ टाइमलाइन. सुप्रीम कोर्ट अब्जर्बर।

श्रीवास्तव एस. और ए. अग्रवाल. 2024. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मॉब लिंचिंग अंडर द भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023. न्यूअल्स लॉ जर्नल. https://nualslawjournal. com/2024/04/22/criminalisation-of-mob-lynching-under-the-bhartiya-nyaya-second sanhita-2023/

धारा 115. आत्महत्या करने के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव की धारणा

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 309 में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए और उसे उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।

(2) समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह गंभीर तनाव वाले उस व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे, जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, ताकि आत्महत्या करने के प्रयास की पुनरावृत्ति के संकट को कम किया जा सके।

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING